फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

...ूल विकास एवं प्रबंधन समिति दंताला गुजरान बनाम सरकार

...र्ष 127/2020

आज्ञा ...र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...01/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. के अन्य राजकार्य के कारण पत्रावली पूर्वानुसार ~~वास्ते तलबी/जवाब~~ दिनांक 30/01/23 को पेश हो।	
30/01/23	पत्रावली पेश हुई, ... द्वारा ... / कार्य ... पत्रावली पूर्वानुसार दि... 02/02/23 ...	
02.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में वकील प्रार्थी की दिनांक 12.01.2023 को बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को ताईन्द करते हुये यह निवेदन किया कि ग्राम दंताला गुजरान मे खसरा नम्बर 125/247 रकबा 1.5200 हैक्टेयर स्कूल के नाम सरकारी भूमि खसरा नम्बर 125 मे से आवटन की हुई है और स्कूल के खेल मैदान एवं भवन हेतु खसरा नम्बर 252/125 रकबा 1.8800 हैक्टेयर आवंटन की हुई है। जो राजस्व रिकार्ड में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दंताला गुजरान के नाम दर्ज है। स्कूल भवन खसरा नम्बर 125/247 में वर्तमान मे स्कूल संचालित की जा रही है और उससे लगती चारागाह भूमि खसरा नम्बर 125 मे स्कूल के बच्चों की अन्य खेलकूद सास्कृतिक कार्यक्रम एवं कियान्तमक गतिविधियां संचालित की जाती है। इस हेतु सरकार की ओर से चरागाह भूमि खसरा नम्बर 125 में 1.8800 हैक्टेयर भूमि खेलकूद एवं भवन हेतु आवटन की गई है। परन्तु उक्त आवंटित भूमि को नक्शे में गलत दर्शा दिया गया है। और स्कूल से लगभग एक किलोमीटर दूर खसरा नम्बर 252/125 का नक्शा कायम कर दिया गया है जबकि स्कूल खसरा नम्बर 125/247 के पास में ही खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्ध है एव उपयोग में ली जाती है और इसी उद्वेश्य से सरकार की ओर से 1.8800 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था परन्तु जब उक्त भूमि को नक्शे मे दर्शाया गया तो वह स्कूल से एक किलोमीटर दूर दर्शाया दी गई और खसरा नम्बर 125 स्कूल के पास में लगती भूमि है जिसमें 252/125 का नक्शा दर्शाया जाना चाहिये था। वर्तमान मे जारी नक्शा व्यावहारिक तौर पर नही है और ना ही उक्त भूमि का जो नक्शा कायम किया गया है उस स्थान का उपयोग स्कूल के लिए नही लिया जा सकता है जबकि स्कूल के पास ही आवंटित भूमि है और उसके पास गांव की आबादी भी है जबकि खेलकूद का मैदान जो नक्शे मे दर्शाया गया है वह स्कूल और आबादी दोनो से काफी दूर है और वास्तविक रूप से जो खेलकूद का मैदान है वह स्कूल और आबादी के बीच में स्कूल से लगता हुआ है। अतः खसरा नम्बर 252/125 रकबा 1.8800 हैक्टेयर ग्राम दंताला गुजरान जो	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति दंताला गुजरान बनाम

मुकदमा संख्या/वर्ष 127/2020

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दंताला गुजरान के नाम दर्ज है का वर्तमान नक्शा दुरूस्त किया जाकर स्कूल के भवन खसरा नम्बर 125/247 से लगती भूमि जो खेलकूद एवं अन्य प्रयोजन के लिए कार्य में आ रही है वहा नक्शा कायम कर दुरूस्त किया जाने के आदेश फरमावे।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात पैराकार सरकार के जवाब आदि का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर पाया कि वर्तमान मौके के अनुसार संचालित विद्यालय से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्कूल खेल मैदान खसरा नम्बर 252/125 जो आवटन अनुसार तरमीमशुदा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0एक्ट का आंशिक स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त आवटन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा किया गया है। अतः स्कूल खेल मैदान को विद्यालय भवन के पास तरमीम करवाने के लिए नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला–जयपुर